न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 29/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 रिछपाल सिंह पुत्र शिवजी राम निवासी सथाना खुर्द, नागौर। मैसर्सः–रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर। 2 नितिन मल्होत्रा पुत्र दयाल दास मल्होत्रा निवासी ए–196, त्रिवेणी नगर, गोपाल पुरा बाईपास, जयपुर। मैसर्सः–रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर। 3 फर्म जरिये नोमिनी मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर।

आदेश

दिनांक :10.02.2026

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 05-03-2025 को मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर पर खाद्य बेसन (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3335 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/229/एक्ट/2025/ 249 दिनांक 19.03.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ बेसन (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रिछपाल सिंह पुत्र शिवजी राम निवासी सथाना खुर्द, नागौर, नितिन मल्होत्रा पुत्र दयाल दास मल्होत्रा निवासी ए–196, त्रिवेणी नगर, गोपाल पुरा बाईपास, जयपुर व मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 10-07-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 18.09.2025 व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से दिनांक 17.10.2025 को श्री रविन्द्र सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामे पेश किये। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया अप्रार्थीगण बेसन को बाजार से खरीदकर लाये, जैसी अवस्था में खरीदा वैसी अवस्था में बेच दिया। अप्रार्थीगण अपनी तरफ से उसमें किसी तरफ की मिलावट नहीं की। वकील अप्रार्थीगण ने कम से कम जुर्माना करके दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/229/एक्ट/2025/ 249 दिनांक 19.03.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ बेसन (लूज) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रिछपाल सिंह पुत्र शिवजी राम निवासी सथाना खुर्द, नागौर, अप्रार्थी संख्या 02 नितिन मल्होत्रा पुत्र दयाल दास मल्होत्रा निवासी ए–196, त्रिवेणी नगर, गोपाल पुरा बाईपास, जयपुर तथा अप्रार्थी संख्या 03 मैसर्स रिलाईन्स रिटेल लिमिटेड, प्लोट नम्बर 64, 65, पिएचडी कॉलोनी, शास्त्री नगर, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर